

**भारत सरकार**  
**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय**  
**मत्स्यपालन विभाग**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या- 630**  
**दिनांक 25 जून, 2019 के लिए प्रश्न**

**विषय: भारतीय जल सीमा में विदेशी जलपोतों को मत्स्यन की अनुमति**

630. प्रो. सौगत राय:

क्या मास्ति्यकी, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार स्थानीय मछुआरों की मदद के लिए भारतीय समुद्र में बड़े विदेशी जलपोतों को मत्स्यन की अनुमति की विद्यमान नीति पर पुनर्विचार करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय सीमा के भीतर विदेशी जलपोतों द्वारा मछली पकड़ने के गंभीर प्रभाव और तदुपरांत भारतीय मछुआरों की बेरोजगारी का आंकलन किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न मछुआरा संघों ने इस संबंध में आपत्ति जताई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इनकी शिकायत निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री**

**(श्री प्रताप चंद्र सारंगी)**

(क) और (ख) मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार में भारतीय तट पर बड़े विदेशी जहाजों को मछली पकड़ने की अनुमति के लिए कोई नीति मौजूद नहीं है।

(ग),(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।